भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1655
10.03.2025 को उत्तर के लिए

आर्द्र भूमि का संरक्षण और पुनरूद्धार

1655. श्री भर्तृहरि महताब :
डॉ. के. सुधाकर :
श्रीमती हिमाद्री सिंह :
श्री आलोक शर्मा :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देशभर में आर्द्र भूमि के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए की गई विशिष्ट पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या आर्द्र भूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत आर्द्र भूमि संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कोई नई नीतियां अथवा कानूनी ढांचा शुरू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) आम जनता, विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं में आर्द्र भूमि संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और
(घ) विगत दो दशकों के दौरान कर्नाटक राज्य में नष्ट हुई आर्द्र भूमि का ब्यौरा क्या है और राज्य में आर्द्र भूमि के पुनरुद्धार के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री :
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वर्तमान में केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत साझाकरण के आधार पर देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 'राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए)' को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में अपशिष्ट जल का अवरोधन, उसका मार्ग परिवर्तन और उपचार, तटरेखा संरक्षण, स्व-स्थाने सफाई अर्थात् गाद निकालना और खरपतवार निकालना, तूफान के कारण अचानक आए जल का प्रबंधन, जैविक उपचार, जलग्रहण क्षेत्र का उपचार, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैविक-बाड़ लगाना, मत्स्य पालन विकास, खरपतवार नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

देश में आर्द्रभूमियों के अधिक प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श से आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010

को अधिक्रमित करते हुए आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 को अधिसूचित किया है। इन नियमों द्वारा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) आर्द्रभूमि प्राधिकरणों का गठन किया गया है (2010 के नियमों में केंद्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करते हुए) और आर्द्रभूमियों की अधिसूचना के साथ-साथ इन नियमों के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए शक्तियां और कार्य राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सौंपे गए हैं। आर्द्रभूमियों के संरक्षण के संबंध में केंद्र सरकार को सलाह देने, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने आदि के लिए राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन किया गया है।

भारत वर्ष 2014 से आर्द्रभूमि संबंधी रामसर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है। भारत ने और 63 आर्द्र भू-खण्डों को रामसर स्थलों के रूप में शामिल किया है। अब तक, देश में 89 रामसर स्थल हैं, जो लगभग 1.36 मिलियन हेक्टेयर को कवर करते हैं। रामसर स्थलों के विशिष्ट संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2023 में 'अमृत धरोहर' नामक पहल शुरू की है, जिसके प्रमुख घटकों में प्रजाति और पर्यावास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, आर्द्रभूमि से संबंधित आजीविका और आर्द्रभूमि में कार्बन का आकलन शामिल हैं। इसके अलावा, दो भारतीय शहरों, मध्य प्रदेश में इंदौर और राजस्थान में उदयपुर को पहली बार वर्ष 2025 में रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता दी गई।

(ग): पूरे देश में प्रतिवर्ष दिनांक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस (डब्ल्यूडब्ल्यू डी) प्रति वर्ष मनाया जाता है ताकि आर्द्रभूमि के मूल्यों और कार्यों तथा उनके संसाधनों के उपयोग के बारे में समाज के सभी वर्गों में जागरूकता पैदा की जा सके। विश्व आर्द्रभूमि दिवस से पहले आर्द्रभूमि मित्रों, स्थानीय समुदायों, छात्रों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये कार्यकलाप उस विशेष वर्ष के लिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम पर आधारित होते हैं और उनमें आर्द्रभूमि स्वच्छता अभियान, पक्षी गणना और पक्षियों को देखने के सत्र, वृक्षारोपण अभियान, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी, चित्रकला, फोटोग्राफी, फिल्म निर्माण, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनियाँ, सेमिनार और जागरूकता रैलियाँ शामिल होती हैं।

सभी आर्द्र भूमि प्रबंधकों और हितधारकों के उपयोग के लिए आर्द्रभूमि संबंधी एक क्रियाशील ज्ञान केंद्र के रूप में एक राष्ट्रीय आर्द्रभूमि पोर्टल https://indianwetlands.in/ विकसित किया गया है। यह आर्द्र भू-खंडों के संबंध में संसाधनों और डेटा भंडार के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल देश के लोगों को आर्द्र भू-खंडों के बारे में अधिक जानने और उनके संरक्षण और प्रबंधन में शामिल होने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है।

मई, 2022 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन में लोगों और हितधारकों की भागीदारी के लिए 'मिशन सहभागिता' की शुरुआत की गई थी, जो आर्द्र भूखंडों के सहभागी संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है, ताकि समुदायों को प्रमुखता में रखते हुए सामाजिक स्वामित्व के दृष्टिकोण को सक्रियता से अपनाया जा सके। इस मिशन के तहत, देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन के विषय में व्यापक जागरूकता प्रसारित करने के लिए डब्ल्यूडब्यल्यूडी 2023 के दौरान 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' शुरू किया गया था, जिसमें राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र आर्द्रभूमि प्राधिकरणों के सहयोग से लक्ष्य-आधारित आउटपुट शामिल थे। इस अभियान के तहत, अब तक अन्य बातों के साथ-साथ 2.1 मिलियन से अधिक लोगों को जागरूक किया गया और 9,36,989

लोगों ने आर्द्रभूमि मित्रों के रूप में शपथ ली है या आर्द्रभूमि मित्रों के रूप में पंजीकृत हुए हैं। इनमें से अधिकांश छात्र हैं।

इसके अलावा, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), एनसीईआरटी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से स्कूली छात्रों के विभिन्न स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन के महत्व पर शैक्षिक वीडियो की एक श्रृंखला विकसित की है। इन वीडियो को स्कूली छात्रों में राष्ट्रव्यापी प्रसार और संवेदनशीलता के लिए एनसीईआरटी और वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल के शैक्षिक चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है।

(घ): कर्नाटक सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, कर्नाटक राज्य में पिछले दो दशकों के दौरान कोई भी निर्दिष्ट आर्द्रभूमि नष्ट नहीं हुई है। कर्नाटक सरकार ने राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण और इसके संशोधन को क्रमशः दिनांक 13.03.2018 और 11.07.2022 को अधिसूचित किया था। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ऑनलाइन पोर्टल वर्ष 2024 में राज्य भर के जल निकायों के संरक्षकों के माध्यम से संक्षिप्त दस्तावेज़ डेटा ऑनलाइन एकत्र करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आर्द्रभूमि का जमीनी सत्यापन और सीमा का सीमांकन किया गया। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) ने आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचित करने के लिए लगभग 80 संक्षिप्त दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। कर्नाटक राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 'आर्द्रभूमि बचाओ अभियान' में सक्रिय रूप से शामिल है।

इसके अलावा, एनपीसीए योजना के तहत, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 20 आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए कर्नाटक राज्य सरकार को 43.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता (केंद्रीय साझेदारी की राशि) प्रदान की है।

*****